



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 16 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 602/23-2-2020-58(सा0)-2020 टी0सी0
 लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-427

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के भैसहां घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला कुशीनगर में भैसहां घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला कुशीनगर में भैसहां घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया में निहित होगा।

अनुसूची

जिले का नाम	नदी के दोनों ओर पर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्राम के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
कुशीनगर	सिधुआ जोबना	भैसहां घाट	बड़ी गण्डक नदी	भैसहां घाट
		शिवपुर		
		मरिचहवां		
		बसन्तपुर		
		शाहपुर		

नौघाट की सीमा					
नौघाट की श्रेणी	किनारा	धारा के प्रतिकूल	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
6	7	8	9	10	11
“अ”	बायां-दायां	त्रिवेणी घाट	21.00 कि०मी०	छितौनी घाट	13.00 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 602/XXIII-2-2020-58(Sa)-2020 T.C., dated December 16, 2020 for the general information :

No. 602/XXIII-2-2020-58(Sa)-2020 T.C.

Dated Lucknow, December 16, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Badi Gandak River at Bhaisaha Ghat in district Kushinagar;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Bhaisaha Ghat in district Kushinagar within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Bhaisaha Ghat in district Kushinagar shall vest in the Superintending Engineer, Deoria Circle, Lok Nirman Vibhag, Deoria.

SCHEDULE

Name of District	Name of the pargana on both sides of the river	Name of village on both sides of the river	name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Kushinagar	Sidhua Jobna	Bhaisaha Ghat	Badi Gandak River	Bhaisaha Ghat
		Shivpur		
		Marichahawa		
		Basantpur		
		Shahpur		

Limit of Ferry

Class of Ferry	Bank Edge	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
"A"	Left-Right	Triveni Ghat	21.00 K.m.	Chhitauni Ghat	13.00 K.m.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 513 राजपत्र-2020-(1077)-599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।